तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी/टीए/7101/2006/दौसा
रामसहाय बनाम भौरीलाल

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री हिमान्शु सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री जी. बाढदार, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक 09.04.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-07-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के सम्मन की विधिवत तामील प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण पर हुई परन्तु वे बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित करने के उपरान्त विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की किन्तु प्रतिवादी पक्ष ने गलत तथ्यों के आधार पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7101/2006/दौसा रामसहाय बनाम भौरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश 9 नियम 13सीपीसी का प्रस्तुत किया, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद को विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया था। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण को जारी सम्मनों पर आधारहीन शंका व्यक्त करते हुए अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसकी जांच किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-12-1998 को बहाल किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-12-1998 को पारित किया गया था, जिसे निरस्त कराने हेतु उनके पक्षकार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से स्वीकार करते हुए एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7101/2006/दौसा रामसहाय बनाम भौरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26-07-1997 को प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-12-1998 से स्वीकार कर डिक्री किया गया। उक्त एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने हेतु प्रतिवादी अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21-12-2001 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12-07-2006 से स्वीकार कर पूर्व में जारी एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जहां पक्षकारों के अधिकारों का प्रश्न निहित हो, उन प्रकरणों को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में वादी प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण खातेदारों के हित व अधिकार प्रभावित होते है, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर मिलना चाहिए। उक्त के मद्देनजर मूल वाद में प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उद्धेश्य से विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर पूर्व में जारी एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7101/2006/दौसा रामसहाय बनाम भौरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दी जावे। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार विचारण न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	